



नमुना क्र.४९  
नियम क्र.७८(१),८३(४),८५,८६ (४) व ९६ पहा



**उमरखेड नगरपरिषद, उमरखेड**  
सन २०२५ -२०२६करिता करांची पावती (पोच पावती)

पुस्तक क्र. २५-UMROP

पावती.क्र. ३८

संगणक क्र.-

नवीन वार्ड क्र. 18

मालमत्ता क्र. 874

भाग क्र.

जुना वार्ड क्र.

मालमत्ता धारक : श्री/श्रीमती/में :

सहकारी महर्षी स्व भाऊसाहेब माने शेतकरी सहकारी जीनिंग ☐ न्ह

जुना मालमत्ता क्र-

४३१/११४

भोगवटदारचे नाव:

प्रेसिंग

जुना भाग क्र-

भाडेकरूचे नाव : शैलेश मुंगे . . .

भरणा प्रकार-

Online

पत्ता: इंदिरा गांधी वार्ड ,उमरखेड

| अ.क्र. | कराचे नाव                        | थकबाकी वसुली रु | चालु वसुली रु | एकूण खर्च |
|--------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| १      | मालमत्ता कर रु                   | १४२९            | १४२९          | २८५८      |
| २      | अग्निशमन कर रु                   | १३०             | १३०           | २६०       |
| ३      | वृक्ष कर रु.                     | ६५              | ६५            | १३०       |
| ४      | शिक्षण कर रु                     | ७७९             | ७७९           | १५५८      |
| ५      | रोजगार हमी उपकर                  | १९५             | १९५           | ३९०       |
| ६      | उपयोगिता शुल्क / स्वच्छता कर रु. | ६८९             | ७२३           | १४१२      |
| ७      | थकीत रक्कमेवरील शास्ती रु        | १३१             |               | १३१       |
| ८      | एकूण भरावयाची रक्कम              | ३४१८            | ३३२१          | ६७३९      |
| ९      | सूट रु.                          |                 |               |           |
| १०     | शास्ती/सूट वजा नंतर एकूण भरणा    | ३४१८            | ३३२१          | ६७३९      |
| ११     | नोटीस फी/ वारंट फी रु.           |                 |               |           |
| १२     | एकूण भरणा रक्कम रु.              | ३४१८            | ३३२१          | ६७३९      |

यांच्याकडून सन०१-एप्रिल-२०२५ ते ३१-मार्च - २०२६ या वर्षाच्या करापोटी रक्कम रु

६७३९

अक्षरी- सहा हजार सातशे एकोणचाळीस रुपये फक्त मिळाले.

दिनांक: 16 Jun 2025 11:00:35:000

वसुली संग्रहक-

सदर संगणक प्रणाली द्वारे गेट वे पेमेंट/ ऑनलाईन भरणा केलेली पावती ग्राह्य धरण्यात येईल